न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 66 / 2022

कानाराम शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा, उम्र 46 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी वार्ड न0 13 ग्राम छापोली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

—— आवेदक

बनाम

1. श्रीमान रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
2. विष्णुदत पुत्र रामेश्वरलाल
3. बालकृष्ण पुत्र विष्णु दतक पुत्र विष्णुदत
4. अजय कुमार पुत्र विष्णुदत
5. विजय कुमार पुत्र विष्णुदत
6. गायत्री देवी पत्नी विष्णुदत दत्तक

जाति समस्त ब्राहम्ण, निवासीगण छापोली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

—— अनावेदक

— — —

आवेदन पत्र अ0धारा 235 बाबत स्थानान्तरण उनवानी दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कानाराम बनाम विष्णुदत वगै0 अदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मु0न0 296 / 19, 270 / 19 तारीख पेशी 18.02.2022

— — —

उपस्थितः—

1. श्री विक्रम दूलड, अभिभाषक – आवेदक की ओर से।
2. श्री विनोद कुमार गिल, अभिभाषक – अनावेदक संख्या 2 लगायत 6 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – अनावेदक संख्या 1 की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.04.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से पेश है कि प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष एक दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी कानाराम बनाम विष्णुदत वगै0 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अदालत मातहत ने दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाद रिपोर्ट व सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन [illegible] अदालत मातहत ने आवदेक का प्रथम दृष्टया मामला मान कर अनावेदकगण 1 लगायत 6 को [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया था। और आज भी उक्त स्थगन आदेश प्रभावी है और उक्त [illegible] व प्रार्थना पत्र में आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.02.2022 नियत है। अदालत मातहत में विचारण के दौरान स्थगन आदेश प्रभावी [illegible] के बाद भी अनावेदकगण नं0 2 लगायत 6 ने जान–बूझकर आदेश की [illegible]ना नही कर जमीन [illegible] में पुख्ता निर्माण कार्य कर लिया है जिसके बाबत अदालत मातहत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर भी उस पर कोई कार्यवाही नही की है और अनावेदकगण 2 लगायत 6 को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:33:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

न्यायालय के आदेश की पालना नही की है और अवहेलना की जा रही है। अदालत मातहत के समक्ष आवेदक द्वारा बार–बार निवेदन करने पर भी उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नही की जा रही है। तथा अनावेदकगण नं0 2 लगायत 6 गांव में खुले आम धमकीयां देते रहते है कि हमारी उपर तक पहुंच है। इस कारण से वर्तमान पीठासीन अधिकारी अनावेदक नं0 1 हमारे प्रभाव में है और उक्त पत्रावली मे हम जैसा चाहेगे वैसा ही निर्णय करेगा और न ही स्थगन के बावजूद हमे पुख्ता निर्माण कार्य करने से रोकेगे और न ही कोई कार्यवाही करेगे तथा हम जैसा चाहेगे वैसा ही निर्णय पारित किया जावेगा। ऐसी स्थिति में आवेदकगण के साथ उक्त पीठासीन अधिकारी से न्याय होने की कतई आशा नही है। दिनांक 14.02.2022 को अनावेदकगण नं0 2 व उसके राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्तियों को पीठासीन अधिकारी के घर व दिन में चैम्बर जाते और बाते करते सुना व देखा गया था और शाम को ग्राम मे जाकर ऐलानियां धमकी दी की हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गयी है। इसलिए अब नियत तारीख पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय हमारे पक्ष में करेगा और बाद में इसी प्रकार से दावा का निर्णय भी हमारे पक्ष में हम जैसा कहेगे उसी के अनुसार करवा लिया जावेगा। जबकि आवेदक का प्रथम दृष्टिया मामला है और सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में मानकर स्थगन आदेश पारित किया गया था। परन्तु अब पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाब व अनावेदक को उक्त पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा नही है। अनावेदकगण उपर तक राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है और काफी प्रभावशाली व्यक्ति है। इसलिए अपने राजनैतिक पहुच व अपने प्रभाव से उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई व दावा में निर्णय पारित करवा लिया तो आवेदक को असहनीय क्षति होगी और न्याय व विधि के अनुसार निर्णय पारित नही होने से न्याय से वंचित हो जायेगा। ऐसी स्थिति उनवानी मुकदमा कानाराम बनाम विष्णुदत वगै0 दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विधिकुल निर्णय व विचारण के लिए अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी से तलब किया जाकर जिला मे स्थापित अन्य उपखण्ड अधिकारी के यहा स्थानान्तरण किया जाना उचित व न्यायोचित होगा तथा आवेदक को सही न्याय प्राप्त हो सकेगा। अतः आवेदन पत्र बाबत स्थानान्तरण मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी से उनवानी दावा व प्रार्थना पत्र कानाराम बनाम विष्णुदत वगै0 मु0न0 270/19 व 296 तारीख पेशी 18.02.2022 को तलब किया जाकर विधिकुल विचारण व निर्णय के लिए जिला में स्थापित अन्य उपखण्ड अधिकारी के यहां स्थानान्तरित किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी ने पत्रांक 181 दिनांक 16.03.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रा0 पत्र की बिन्दू सं0 1 स्वीकार है। बिन्दू सं0 2 मे वर्णितानुसार हुक्महुदली प्रा0 पत्र 16.01.2020 को पेश किया गया था जिनमे आगामी तारीख पेशी 24.03.2022 नियत है। शेष कथन झूठे व मनगढन्त अंकित किये गये है। प्रा0प0 की मद 4 मे वर्णित कथन झूठे एवं मनगढन्त है। मद संख्या 5 प्रार्थी स्वयं साबित करें। मद सं0 6, 7, 8 कानूनी है। श्रीमानजी द्वारा उक्त प्रा0पत्र स्थानान्तरित किया जाता है तो जबाबदेहन्दा को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:33:58 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत के समक्ष आवेदक द्वारा बार–बार निवेदन करने पर भी उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नही की जा रही है। तथा अनावेदकगण नं0 2 लगायत 6 गांव में खुले आम धमकीयां देते रहते है कि हमारी उपर तक पहुंच है। इस कारण से वर्तमान पीठासीन अधिकारी अनावेदक

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

नं0 1 हमारे प्रभाव में है और उक्त पत्रावली मे हम जैसा चाहेगे वैसा ही निर्णय करेगा और न ही स्थगन के बावजूद हमे पुख्ता निर्माण कार्य करने से रोकेगे और न ही कोई कार्यवाही करेगे तथा हम जैसा चाहेगे वैसा ही निर्णय पारित किया जावेगा। ऐसी स्थिति में आवेदकगण के साथ उक्त पीठासीन अधिकारी से न्याय होने की कतई आशा नही है। ऐसी स्थिति उनवानी मुकदमा कानाराम बनाम विष्णुदत वगै0 दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विधिकुल निर्णय व विचारण के लिए अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी से तलब किया जाकर ज़िला मे स्थापित अन्य उपखण्ड अधिकारी के यहा स्थानान्तरण किया जाना उचित व न्यायोचित होगा तथा आवेदक को सही न्याय प्राप्त हो सकेगा। अतः आवेदन पत्र बाबत स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी से उनवानी दावा व प्रार्थना पत्र कानाराम बनाम विष्णुदत वगै0 मु0न0 270/19 व 296 तारीख पेशी 18.02.2022 को तलब किया जाकर विधिकुल विचारण व निर्णय के लिए जिला में स्थापित अन्य उपखण्ड अधिकारी के यहां स्थानान्तरित किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 ने वकील आवेदक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अदालत मातहत मे राजकीय भूमि के संबंध मे स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दायर नही कर सकता। इनका दावा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मे चलने योग्य नही है। प्रकरण मे देरी के उद्देश्य से शिकायतें कर रहा है एवं उक्त प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण का उद्देश्य भी यही है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील आवेदक का यह कथन कि उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थी अदालत मातहत मे राजकीय भूमि के संबंध मे स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दायर नही कर सकता। इनका दावा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मे चलने योग्य नही है। प्रकरण मे देरी के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण सारहीन प्रतीत होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:33:58 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू